नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी

शहरों में 11 और ग्रामीण क्षेत्रों में 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे चुनाव

- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने प्रेस-कान्फ्रेंस लेकर दी जानकारी
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता हुई लागू

रायगढ़

नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी को अपराह्न में निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस-वार्ता लेकर रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय निकाय के लिए मतदान एक चरण में 11 फरवरी 2025 को किया जाएगा। परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 को होगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान तीन चरण में संपन्न होंगे। रायगढ़ जिला अंतर्गत प्रथम चरण में विकासखण्ड रायगढ़ व पुसौर के पंचायत, द्वितीय चरण में खरसिया, धरमजयगढ़ और तृतीय चरण में तमनार, लैलूंगा एवं घरघोड़ा के पंचायतों में मतदान किया जाएगा।

जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय हेतु निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 22 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 22 जनवरी 2025 से ही नाम निर्देशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 29 जनवरी 2025 को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 31 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को मतदान किया जाएगा। मतगणना व निर्वाचन परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार को की जाएगी।

वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान तीन चरण में संपन्न होंगे। इसमें तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। तीनों चरणों के लिए 27 जनवरी 2025 से ही नाम निर्देशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। तीनों चरणों के लिए 3 फरवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। तीनों चरणों में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 4 फरवरी 2025 को की जाएगी। तीनों चरणों के लिए अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2025 है, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 6 फरवरी 2025 को ही किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 17 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 18 फरवरी 2025 को की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 20 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 21 फरवरी 2025 को की जाएगी। तृतीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 23 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 24 फरवरी 2025 को की जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर 19 फरवरी 2025 और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर 20 फरवरी 2025 को होगी। वहीं द्वितीय चरण के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर 22 फरवरी 2025 और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर 23 फरवरी 2025 को होगी। तृतीय चरण के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर 25 फरवरी 2025 और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर 25 फरवरी 2025 को होगी।

नगर पालिका व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। जिसके तहत जिले के नगरीय निकाय हेतु कुल 141 वार्डो में अंतिम निर्वाचकों की कुल संख्या 01 लाख 95 हजार 371 मतदाता है। जिसमें पुरूष-97 हजार 655, महिला-97 हजार 686 एवं 20-अन्य मतदाता शामिल है। जिसमें नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत सभी 48 वार्ड में कुल मतदाता-01 लाख 40 हजार 884 है, जिसमें पुरूष 70 हजार 399, महिला-70 हजार 468 एवं अन्य-17 शामिल है। इसी तरह नगर पालिका परिषद खरसिया अंतर्गत सभी 18 वार्ड में कुल मतदाता-15 हजार 608 है, जिसमें पुरूष-7 हजार 742, महिला-7 हजार 866 है। नगर पंचायत पुसौर अंतर्गत सभी 15 वार्ड में कुल मतदाता-4 हजार 207 है, जिसमें पुरूष-2 हजार 38 एवं महिला-2 हजार 169 है। नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर अंतर्गत सभी 15 वार्ड में कुल मतदाता 9 हजार 640 है, जिसमें पुरूष-5 हजार 353, महिला-4 हजार 284 एवं 3 अन्य शामिल है। नगर पंचायत घरघोड़ा अंतर्गत सभी 15 वार्ड में कुल मतदाता 7 हजार 136 है, जिसमें पुरूष-3 हजार 441, महिला-3 हजार 695 है। नगर पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत सभी 15 वार्ड में कुल मतदाता 11 हजार 536 है, जिसमें पुरूष-5 हजार 615, महिला-5 हजार 921 है। नगर पंचायत लैलूंगा अंतर्गत सभी 15 वार्ड में कुल मतदाता 6 हजार 360 है, जिसमें पुरूष-3 हजार 77 एवं महिला 3 हजार 283 है।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 550 ग्राम पंचायतों में 6 लाख 75 हजार 505 मतदाता शामिल है। जिसमें पुरूष-3 लाख 31 हजार 996, महिला-3 लाख 43 हजार 505 एवं 4-अन्य मतदाता शामिल है। जिसमें जनपद पंचायत रायगढ़ के 84 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-01 लाख 01 हजार 287 है, जिसमें पुरूष-50 हजार 168, महिला-51 हजार 119 है। जनपद पुसौर के 89 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-01 लाख 7 हजार 50 है, जिसमें पुरूष-53 हजार 473, महिला-53 हजार 577 है। जनपद पंचायत खरसिया के 81 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता 01 लाख 2 हजार 558 है, जिसमें पुरूष-50 हजार 368, महिला-52 हजार 189 एवं 01 अन्य मतदाता है। जनपद पंचायत तमनार के 61 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-70 हजार 725 मतदाता है, जिसमें पुरूष-34 हजार 779, महिला-35 हजार 946 है। जनपद पंचायत लैलूंगा के 75 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-93 हजार 889 है, जिसमें पुरूष-46 हजार 120, महिला-47 हजार 769 है। जनपद पंचायत घरघोड़ा के 42 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-53 हजार 301 है, जिसमें पुरूष-25 हजार 662, महिला-27 हजार 639 है। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के 118 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता-01 लाख 46 हजार 695 है, जिसमें पुरूष-71 हजार 426, महिला-75 हजार 266 तथा 3 अन्य मतदाता शामिल है।

वन स्टेट-वन इलेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य

रायपुर (आरएनएस)। वन स्टेट-वन इलेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है. आज राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें एक ही आचार संहिता में छत्तीसगढ़ में पहली बार शहर और गांव दोनों का चुनाव कराने की घोषणा की गई. बता दें कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने साय सरकार ने कमेटी गठित की थी. उसके सुझाव के बाद एक ही आचार संहिता में चुनाव कराने की घोषणा की गई है.छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव एक चरण में होंगे. वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा, जो 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को होगा।

नगरीय निकाय चुनाव की तारीख :-

- 11 फरवरी को मतदान होगा.
- एक ही चरण में नगरीय निकाय चुनाव कराया जाएगा.
- 22 जनवरी से नॉमिनेशन से शुरुआत होगी.
- 31 जनवरी को नाम वापसी तक का समय रहेगा.
- 15 तारीख को मतगणना होगी.
- तीन चरणों में होगा पंचायत चुनाव
- 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा.
- 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा।

नगर पालिक निगम रायगढ़ के लिए अपर कलेक्टर रवि राही रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश

नगर पालिक आम निर्वाचन अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ सहित जिले की 01 नगर पालिका परिषद एवं 05 नगर पंचायतों के निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न कराने हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने नगर पालिक निगम रायगढ़ के लिए अपर कलेक्टर रायगढ़ रवि राही को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

रायगढ़ जिले में पोस्टेड नए अपर, संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर्स ने दी ज्वाइनिंग

कलेक्टर ने अधिकारियों में मध्य किया कार्य विभाजन

राज्य सरकार द्वारा 17 जनवरी 2025 को अपर, ज्वाइंट और डिप्टी कलेक्टर्स का ट्रांसफर किया था। इस ट्रांसफर आदेश के परिपालन में रायगढ़ जिले में पोस्टेड अपर कलेक्टर रवि राही, ज्वाइंट कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, ज्वाइंट कलेक्टर पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर व डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा ने आज 20 जनवरी को पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट रायगढ़ में ज्वाइनिंग दे दी है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने नए अधिकारियों के ज्वाइनिंग के आधार पर जिले में पदस्थ अधिकारियों के मध्य नवीन कार्य विभाजन किया है।

साप्ताहिक जनदर्शन आगामी सूचना तक रहेगा स्थगित

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु प्रभावी आचार संहिता के मद्देनजर प्रति सप्ताह मंगलवार को कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित होना वाला साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन आगामी सूचना तक स्थगित रहेगा। जिलेवासी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर कार्यालय में कार्यालयीन समय में आवक-जावक शाखा में दे सकते है।

बंदूक, पिस्तौल, हथियार थाने में जमा करने के आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारकों से अपने-अपने आग्नेय शस्त्र (फायरिंग करने वाले हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) अपने नजदीक पुलिस थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं. बता दें, यह आदेश पूरे रायपुर जिले के लायसेंसधारियों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए लायसेंसधारी दोनों शामिल हैं.

महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूली बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 2 की मौत, कई घायल

कोंडागांव (आरएनएस)। नेशनल हाइवे 30 पर आज एक भीषण सडक़ हादसा हुआ है, जिसमें एक स्कूली बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 बच्चे घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिकलपुटी नया बस स्टैंड के पास हुआ। बस में स्कूल के शिक्षक और बच्चे सवार थे, जो तीर्थगढ़, चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बारसूर भ्रमण से वापस लौट रहे थे। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में बस चालक और एक शिक्षक शामिल हैं। घायल बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों वाहन आमने-सामने की टक्कर में आ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है।

अलाव ताप रहे बुजुर्ग की जलकर मौत

जगदलपुर-रायपुर (आरएनएस)। एक बुजुर्ग घर में ही जिंदा जल गया है। बताया जा रहा है कि, वो अलाव जलाकर बैठा था। जिससे पहले आग उसके कपड़े पर लगी, फिर आधा शरीर जलकर खाक हो गया। उसके घुटने से नीचे पैर का कुछ हिस्सा ही बचा है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। दरअसल, बुजुर्ग शिव शंकर यादव (64) जगदलपुर के गंगानगर वार्ड क्रमांक-23 के रहने वाले थे। घर पर अकेले रहते थे। रविवार को उन्होंने अपने घर पर अलाव जलाकर रखा था। वे शॉल भी ओढ़े थे। इस दौरान अचानक उनके कपड़े में आग लग गई। जिससे उनका शरीर जल गया। वे बेसुध होकर नीचे गिर गए। इस हादसे में उनका शरीर जल गया। आग की लपटें इतनी थी कि आस-पास में रखा सामान भी जल गया। जिसके बाद आग की लपटें फैली और घर से धुआं उठने लगा। वहीं, आस-पास के लोगों ने जब धुआं देखा तो तत्काल मौके पर पहुंचे थे।

अवैध शराब पर चक्रधरनगर पुलिस की तबाड़तोड़ कार्यवाई: दो स्थानों पर छापेमारी, 31 लीटर महुआ शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर चक्रधरनगर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए निरीक्षक प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम छोटे रेगडा और गोपालपुर कोरियादादर में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब का कारोबार उजागर किया। शराब रेड में 31 लीटर महुआ शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

छोटे रेगडा: 20 लीटर शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

ग्राम छोटे रेगडा में अमृत एक्का के घर छापेमारी की गई। शुरुआती पूछताछ में वह टालमटोल करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने महुआ शराब बिक्री करना कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर कोला बाड़ी में छिपाकर रखी गई एक काले रंग की ट्यूब से 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब रु.4000 है। पुलिस ने 37 वर्षीय आरोपी अमृत एक्का को गिरफ्तार कर लिया।

गोपालपुर कोरियादादर: 11 लीटर शराब के साथ एक और आरोपी पकड़ा गया

दूसरी कार्रवाई गोपालपुर कोरियादादर में हुई, जहां 40 वर्षीय आनंद राम उरांव को उसके घर के पीछे बाड़ी से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 11 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब रु.2200 है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 33 और 34/2025 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, रवि साय पैंकरा, आरक्षक विनोज लकड़ा और महिला आरक्षक अनिता बेक ने अहम भूमिका निभाई। चक्रधरनगर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

जूटमिल पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: 33 पाऊच महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार

रायगढ़। जूटमिल पुलिस ने आज गांधी नगर में एक महिला के घर पर अवैध महुआ शराब रखने की सूचना पर रेड की कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुर्गा बंजारे नामक महिला अवैध रूप से घर में अवैध बिक्री के लिए हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब रखे हुए है।

पुलिस ने गवाहों के साथ दबिश दी और महिला से पूछताछ की। महिला ने शराब रखने से इंकार किया, लेकिन तलाशी में घर के बाथरूम के पास छत जाने वाली सीढ़ी के नीचे 33 पाऊच महुआ शराब बरामद हुई जिसके प्रत्येक पाऊच में 180 मि.ली. शराब थी, कुल 5.940 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 600 रुपये है। पूछताछ में महिला ने यह स्वीकार किया कि उसने शराब बिक्री के लिए रखी थी।

इस पर महिला दुर्गा बंजारे (40) के खिलाफ थाना जूटमिल में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। निरीक्षक थाना प्रभारी जूटमिल मोहन भारद्वाज के निर्देशन पर इस छापेमार कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिदार, आरक्षक बंशीलाल रात्रे, सतीश चंद्र लकड़ा और महिला आरक्षक देवकुमारी भारते की अहम भूमिका रही।

रायगढ़ में मादक पदार्थों का किया गया विधिवत नष्टीकरण

- एनडीपीएस मामलों में जब्त 422.259 किलोग्राम गांजा समेत नशीली दवाओं को किया गया नष्ट

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के निपटान के लिए गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति ने रायगढ़ जिले में जब्त किए गए मादक पदार्थों को विधिवत नष्ट किया। समिति द्वारा विभिन्न थानों में जब्त मादक पदार्थों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 25 मामलों में जब्त मादक पदार्थों में 422.259 किलोग्राम गांजा, 1132 नग सिरप, 1425 नग टेबलेट/कैप्सूल और 44 नग इंजेक्शन/एम्पुल शामिल थे। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी से अनुमति लेकर इन सभी मादक पदार्थों को आज 20 जनवरी को एमएसपी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, जामगांव की भट्ठी (फर्नेस) में जलाकर नष्ट किया गया। इस प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग पटेल ने की। उनके साथ समिति के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ आकाश मरकाम, सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो तथा नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ आकाश शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक उत्तम प्रताप सिंह, निरीक्षक प्रशांत राव, थाना प्रभारी चक्रधरनगर और पंचों की उपस्थिति रही।

महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, रिमांड के बाद जेल भेजा गया

रायगढ़

दिनांक 16 जनवरी 2025 को थाना घरघोड़ा में एक स्थानीय महिला द्वारा आरोपी प्रेमदास महंत के खिलाफ घर में घुसकर धमकाने और दुष्कर्म करने की रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रेमदास महंत (40) को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

महिला के अनुसार, 11 जनवरी 2025 की रात आरोपी प्रेमदास महंत महिला के घर में चोरी-छिपे घुस आया था। जब महिला ने प्रेमदास को घर में देखी तो उसने शोर मचाया, इसके बाद आरोपी ने महिला को डरा धमका कर दुष्कर्म किया और भाग गया। महिला ने घटना की जानकारी परिवारवालों को दी और थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपराध संख्या 13/2025, धारा 332 (ख), 64, 351 (2) बी. एन. एस. के तहत मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना शुरू की। आज घरघोड़ा पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई और उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक रामकिंकर यादव, उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त (थाना कोतरारोड़), सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह और उनके सहयोगी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कटौती के विरोध में ओबीसी संयोजन समिति ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया

- मुख्यमंत्री के नाम एस डी एम धमतरी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व से दी जा रहीं ह्क्चष्ट आरक्षण को समाप्त करने के लिए अवैधानिक तरीके से प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही शड्ढष् को आरक्षण प्रदान करने वाली पंचायत राज अधिनियम के धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करके आरक्षण रोस्टर जारी किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गई है।

जिन क्षेत्र में ओबीसी की आबादी 50त्न है वहां तो ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया ही गया है, जिन क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी50त्न से 100त्न है वहां भी ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आराक्षित कर दिया गया है जिसके कारण ओबीसी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है, ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधि, सामाजिक प्रमुख एवं आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं । जो किसी बड़ी जन संघर्ष की और संकेत दे रहा है ।

अत: माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि वर्तमान पंचायती राज अधिनियम में की गई संशोधन एवं जारी नई आरक्षण रोस्टर को निरस्त करते हुए पूर्व आरक्षण रोस्टर के आधार पर ओबीसी वर्ग को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही आबादी के अनुपात में बराबर हिस्सेदारी देने वाली आरक्षण रोस्टर के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव करवाने की कृपा की जावे, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी समाज के द्वारा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480